

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

संख्या: एफ.टी.एस.-बी-एफ 513/98

दिनांक: शिमला-2, 14-2-2000.

अधिसूचना

एसा अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि और वन भूमि में और उस पर सरकार और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों की प्रकृति और विस्तार की जांच कर ली गई है और इनके भारतीय वन अधिनियम, 1927 का 13 की धारा -29 की उप धारा 13 के अधीन अभिलेखित कर लिया गया है।

और उपर्युक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि और वन भूमि सरकार की सम्पत्ति है जिस पर सरकार के सम्पत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपजा के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-29 की उप-धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषित करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय -IV के उपबन्ध उपर्युक्त अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट शिमला वन मण्डल, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश की वन भूमि और वन भूमि को लागू होगा और एतद् पर्याय उपरोक्त अधिनियम की धारा-29 की उप-धारा 13 के उपबन्धों के अधीन शेरदिया वन कहलाएगा।

आदेशानुसार,

वित्तायुक्त एवं सचिव वन

हिमाचल प्रदेश सरकार

दिनांक:

14-2-2000.

संख्या: एफ.टी.एस.-बी-एफ 513/98

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान मुख्य अरण्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-1.
2. मुख्य अरण्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-1.
3. जिलाधीश शिमला को अधिसूचना की 10 प्रतियों सहित।
4. क्लेक्टोर कम सेटलमेण्ट आफिसर वन संजोली, शिमला।
5. वन मण्डल अधिकारी शिमला-2।
6. प्र बन्धक हिमाचल प्रदेश मुख्य तथा सहायक जिलाधीश शिमला को जिलाधीश के राजपत्र में प्र काशन हेतु।

प्रतिरिक्त सूचित है
हिमाचल प्रदेश सरकार

संरक्षित जंगल वन मण्डल शिमला जिला शिमला जिसकी धारा 29(1) भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत अधिस्वचना जारी होनी है।

क्र.सं.	पाईल नं०	जंगल का नाम	परिचय का नाम	तहसील
1.	11/96	गलाह	सुन्नी	सुन्नी
2.	12/96	वाग रोज	"	"
3.	15/96	हिवण कोसडी	"	"
4.	18/96	रहडी	"	"
5.	24/96	मूल भज्जी	"	"
6.	26/96	चक्याणा	"	"
7.	6/97	क्वार	"	"
8.	8/97	पेम्बरी	"	"
9.	9/97	दादगी	"	"
10.	10/97	शिमली रावली	"	"
11.	12/97	रावली	"	"
12.	13/97	गराओ जेरी	"	"
13.	14/97	कस्याली	"	"
14.	15/97	सन्दोआ	"	"
15.	16/97	गडाह	"	"
16.	19/97	ओगली सोमा	"	"
17.	21/97	मेदरी (गडरी)	"	"
18.	23/97	पन्दोआ प्रथ	"	"
19.	25/97	हिमरी	"	"
20.	26/97	चपडानी	"	"
21.	27/97	खेरा	"	"
22.	29/97	भराडा द्रावला	"	"
23.	30/97	दयंगला	"	"
24.	34/97	धरोगडा	"	"
25.	35/97	मालगी कोठी	"	"
26.	36/97	वागडी वसुणा	"	"
27.	37/97	तलोडी	"	"
28.	38/97	देवडी	"	"

190-31-34
 उ०-महाल अ०
 द०-महाल अ०
 प०-महाल अ०
 म०-महाल अ०
 डी.पी.एफ. अ०
 डी.पी.एफ. अ०

10

उन वनों की अनुसूची जिनको जंगल महसूला महसूला घोषित किया जाना है, वन मण्डल में।

क्र.सं.	फाईल न०	जंगल का नाम	महाल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	कुल क्षेत्र	सीमाओं का वर्णन
1.	11/96	गलाह	गलाह	सुन्नी	1, 9-7852	उ०-महाल गलाह द०-डी.पी.एफ. गलाह प०-महाल सन्दीपा ड०-डी.पी.एफ. लम्बी पार
2.	12/96	वाग सैन्य	वाग सैन्य	"	51-354 1, 19,	उ०-महाल हथिया व द०-डी.पी.एफ. सैन्य व प०-महाल वाग ड०-महाल ग्रेवणा व सैन्य
3.	15/96	हिवण व शैलडी	हिवण, कौलडी	"	51/1, 28-5144 1, 288/1,	उ०-महाल था द०-महाल कौलडी दोयन व महाल हिवण ड०-डी.पी.एफ. उ हिवण कौलडी दोयन, हिवण उवल प०-कौलडी दोयन
4.	18/96	शडी	शडी, मूल भज्जी, देवठी		58/1, 7-44-5 क्षेत्र=7	उ०-महाल शडी, डी.पी.एफ. कौलडी द०-महाल चक्याणा व महाल शडी प०-महाल देवठी व महाल शडी ड०-महाल शडी
5.	24/96	मूल भज्जी	मूल भज्जी		7/1 9-94-18	उ०-महाल मूल भज्जी द०-महाल चक्याणा डी.पी.एफ. भज्जी, प०-महाल चक्याणा ड०-डी.पी.एफ. भज्जी महाल मूल भज्जी

13/97

गराओ जेही

गराओ व सुन्नी
जेही

13.14/97

करपाली

खन, मटेका, "
 करपाली, नरहल

14.

15/97

सन्दोआ

सन्दोआ "

15.

16/97

गडाह

गडाह, वागडा "
 "

16.

19/97

ओगली सोना

तलाह, ओगली "
 भाना न्द

190-37-34

उ०-महाल जेही
द०-महाल गुराओ
पू०-महाल जेही,
महाल भाडा
महाल डाल, डी.
पी.एफ. डावला
प०-महाल गुराओ,
महाल पुष्प,
महाल खो।

195-09-20

उ०-डी.पी.एफ.डावला
महाल मटेका व
हिमरी
द०-डी.पी.एफ.चपडानी
सहाल चपडानी
डी.पी.एफ.करपाली
पू०-डी.पी.एफ.चपडानी
प०-महाल खन, महाल
डाल।

126-14-16

उ०-महाल सन्दोआ
द०-महाल सन्दोआ व
व ताम्बीधार
पू०-डी.पी.एफ.शान्द
व सरमा
प०-महाल सन्दोआ

164-70-82

/1, 272/1,

उ०-महाल गडाह व
सोना
द०-महाल हिमरी
पू०-महाल वनना,
गडाह, वागडा
प०-महाल ठार, डी.पी.
सफ. डावला

144-17-53

उ०-महाल तलाह, ओगली
द०-महाल ठार
पू०-ओगली व भाना न्द
प०-तलाह

/1,
1